POLICE COMMISSIONERATE

GAUTAM BUDH NAGAR

सराहनीय कार्य/ प्रेस विज्ञप्ति – दिनाकं 02.06.2024

1.स्वाट टीम व थाना बीटा 2 पुलिस द्वारा 09 लाख रूपये लूट की घटना का मात्र 48 घंटे में सफल अनावरण करते हुए लूटी गयी सम्पूर्ण धनराशि 09 लाख रूपये व घटना में प्रयुक्त ब्रेजा गाडी व अवैध पिस्टल, 01 तमंचा व 03 अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक **31.05.2024** को साइट-4 ग्रेटर नोएडा में कैश कलैक्शन एजेंट सन्तोष की कार को रोककर पिस्टल दिखाकर मो0सा0 सवार 02 बदमाशों द्वारा 09 लाख रूपये कैश लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। इस घटना के सम्बन्ध में थाना बीटा-2 पर श्री कृष्णा लेमिनेटस कम्पनी जी-16 साइट-4 के मालिक द्वारा थाना बीटा-2 पर मु0अ0सं0- 199/2024 धारा 392 भादवि बनाम मोटर साइकिल सवार दो अज्ञात बदमाश के विरूद्ध पंजीकृत कराया गया था। घटना के सफल अनावरण हेतु वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा थाना बीटा-2 थाना ईकोटेक-1 एवं स्वाट टीम की अलग अलग टीमें गठित की गयी थी। पुलिस टीमों द्वारा संदिग्धों से पूछताछ घटनास्थल एवं घटनास्थल से आने जाने वाले रास्तों पर लगे 200 से भी अधिक सीसीटीवी फुटेजों के अवलोकन एवं सर्विलांस की सहायता से मुकदमा उपरोक्त की घटना का मात्र 48 घंटे में सफल अनावरण करते हुए मुकदमा उपरोक्त में लूटी गयी 09 लाख रूपये की सम्पूर्ण धनराशि को बरामद करते हुए अपराध में शामिल 03 अभियुक्तों 1. चन्दन पुत्र शिव नारायण 2. सन्तोष कुमार पुत्र श्री राज कुमार मेहतो 3. नितेश शर्मा पुत्र विजय बहादुर को घटना में प्रयुक्त अवैध असलाह पिस्टल एवं तमंचे सहित **गिरफ्तार** किया गया है।

घटना का विवरण-- दिनांक **31.05.2024** को थाना बीटा-2 क्षेत्रान्तर्गत साइट-4 ग्रेटर नोएडा में स्थित कम्पनी श्री कृष्णा लेमिनेटस कम्पनी जी-16 साइट-4 से टीसीएस मार्केटिंग ए-6 मंगोलपुरी इण्डस्ट्रीयल एरिया दिल्ली द्वारा अपने कैश कलैक्शन एजेंट संतोष पुत्र राजकुमार निवासी कीर्ति नगर दिल्ली को कैश लेने के लिए अपनी निजी कार ब्रेजा रंग सफेद नम्बर डीएल 8सीबीएफ 1634 से ग्रेटर नोएडा भेजा गया था। सन्तोष द्वारा श्री कृष्णा लेमिनेटस कम्पनी जी-16 साइट-4 से 09 लाख रूपये कैश प्राप्त कर अपनी कार में रखकर ले जाते समय किया मोटर्स के शोरूम साइट-4 के बराबर में मोटर साइकिल सवार दो बदमाशों द्वारा कार को रूकवाकर कार चालक संतोष को पिस्टल दिखाकर कार में रखा 09 लाख रूपये से भरा बैग लूटकर ले गये थे। घटना के सम्बन्ध में थाना बीटा-2 पर वादी द्वारा थाना बीटा-2 पर अभियोग पंजीकृत कराया गया था।
,

घटना कारित करने का उद्देश्य--

गिरफ्तार अभियुक्तगण से पूछताछ पर अभियुक्त सन्तोष कुमार द्वारा पूछताछ में बताया गया कि उस पर कार लोन तथा बाईक लोन और इसके अलावा लोगों की भी काफी उधारी थी जो दे नहीं पा रहा था, इस बात को लेकर काफी परेशान था। ये बात सन्तोष ने अपने भतीजे चन्दन तथा अपने दोस्त नितेश शर्मा और आकाश को भी बतायी जिस पर घटना से लगभग 15 दिन पहले सभी लोगो ने फर्जी लूट की योजना बनाई तथा तय हुआ कि जहाँ सन्तोष टेकचंद एण्ड सन्स मंगोलपुरी के मालिक अखिल गोयल के लिए कैश कलैक्शन का काम करता है जिस दिन ज्यादा कैश लेने जायेगा उसी दिन ये घटना को अंजाम दिया जायेगा तथा कुछ पैसे आपस में बाँट लेंगे और बाकी बचे हुए पैसे से कार/बाईक की किस्त और लोगो का उधारी का पैसा चला जायेगा और किसी को शक भी नहीं होगा इसलिये अभियुक्तगण द्वारा घटना को सच साबित करने के लिये घटना के समय हवाई फायरिंग की गयी थी तथा लूटी गयी रकम को ले जाते समय 1.5 लाख रूपये खर्चे के लिए निकालकर लूट की रकम में से 7.5 लाख रूपये एवं घटना में प्रयुक्त अवैध पिस्टल एवं तमंचे को एक बैग में रखकर दिल्ली वापस जाते समय चूहडपुर अंडरपास के समीप सर्विस रोड की झाडियों में छिपाना बताया गया। जिसकी बरामदगी हेतु पुलिस पार्टी अभियुक्त चन्दन को साथ लेकर अभियुक्त द्वारा बताये गये स्थान पर पहुँची अभियुक्त चन्दन द्वारा चूहडपुर अंडर पास के समीप सर्विस रोड के किनारे बबूल की घनी झाडियों में छिपाकर रखे गये बैग को निकालकर पुलिस को देते समय उसमें रखी अवैध पिस्टल से पुलिस पर जान से मारने की नियत से फायर कर पुलिस अभिरक्षा से भागने का प्रयास किया पुलिस पार्टी द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त चन्दन घायल हो गया। अभियुक्त को प्राथमिक उपचार हेतु अस्पताल भेजते हुए उसकी निशादेही पर बरामद बैग से 500-500 के नोटों की 15 गड्डियाँ कुल 7.5 लाख रूपये, 01 अवैध पिस्टल 32 बोर, 02 जिदा व 02 खोखा कारतूस व 01 तमंचा 315 बोर 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस बरामद किया गया है।

बरामदगी का विवरण--

1. लूटी गयी सम्पूर्ण धनराशि 09 लाख रूपये
2. घटना में प्रयुक्त 01 अवैध पिस्टल 32 बोर 02 जिदा व 02 खोखा कारतूस
3. घटना में प्रयुक्त 01 तमंचा 315 बोर 02 जिंदा कारतूस व 01 खोखा कारतूस
4. कार ब्रेजा रंग सफेद नम्बर डीएल 8 सीबीएफ 1634

अभियुक्तों का विवरण--

1. चन्दन पुत्र शिव नारायण निवासी 2/68 डब्लू एच एस कीर्ति नगर थाना कीर्ति नगर दिल्ली
2. सन्तोष कुमार पुत्र श्री राज कुमार मेहतो निवासी बेला पचरुखी थाना बिरौली जिला समस्तीपुर बिहार हाल पता डी- 48, ग्राउण्ड फ्लोर सरस्वती गार्डन थाना कीर्तिनगर दिल्ली
3. नितेश शर्मा पुत्र विजय बहादुर निवासी चूना भट्टी कीर्ति नगर दिल्ली

पंजीकृत अभियोगों का विवरण--

1. मु0अ0स0-199/2024 धारा 392/411/120 बी भादवि थाना बीटा-2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर

2. मु0अ0स0-204/2024 धारा 307 भादवि व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम थाना बीटा-2 ग्रे0नो0 गौतमबुद्धनगर बनाम चन्दन

2.सीआरटी व थाना सेक्टर 24 नोएडा पुलिस द्वारा घरो से लैपटॉप व मोबाइल चोरी करने वाले 03 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी किये हुए 09 लैपटॉप व 11 मोबाइल बरामद।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक 02.06.2024 को सीआरटी व थाना सेक्टर -24 नोएडा पुलिस द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए चैकिंग के दौरान नोएडा एनसीआर क्षेत्र में लैपटॉप व मोबाइल चोरी करने वाले **03** अभियुक्तों 1. आफताब पुत्र मौ0 इदरीश 2. मौ0 अलकाम पुत्र लिफाकत अली 3. शम खान पुत्र मौ0 मूसा को शिवम मार्किट सेक्टर -22 मैन रोड से गिरफ्तार किया गया है। जिनके कब्जे से चोरी किये हुए 09 लैपटॉप व 11 मोबाइल बरामद।

अपराध का तरीका--

अभियुक्त 1.आफताब 2.मौ0 अलकाम 3.शम खान ने बताया कि हम दिल्ली से नोएडा ऑटो किराये पर लेकर प्रातः5.00 बजे से प्रातः 6.00 बजे आते है और नोएडा के गाँव व सेक्टरो में घूमकर जिन मकानो के दरवाजे खुले होते है उन मकानो में घुस जाते है यदि मकान मालिक सोने के बाद उठा होता है और पूछता है कि क्यो आये है तो किराये का कमरा देखने आये है कह देते है यदि सोता हुआ पकडा जाता है तो घर में रखे मोबाइल व लैपटॉप चोरी कर वापस दिल्ली भाग जाते है और चोरी किये हुए लैपटॉप व मोबाइल को राह चलते हुए व्यक्तियो को मजबूरी बताकर कम दामो में बेच देते है। हमने नोएडा एनसीआर क्षेत्र में 02 दर्जन से अधिक घटनाए की है।

अभियुक्तों का विवरण--

1. आफताब पुत्र मौ0 इदरीश निवासी ग्राम लुकमानपुरा थाना कीरतपुर जिला बिजनौर हाल पता गली नं0 12 भगवती विहार थाना गौकलपुरी दिल्ली
2. मौ0 अलकाम पुत्र लिफाकत अली निवासी ग्राम लुकमानपुरा थाना कीरतपुर जिला बिजनौर हाल पता गली नं0 12 भगवती विहार थाना गौकलपुरी दिल्ली
3. शम खान पुत्र मौ0 मूसा निवासी ग्राम लुकमानपुरा थाना कीरतपुर जिला बिजनौर हाल पता गली नं0 15ए विजयपार्क थाना भजनपुरा दिल्ली

पंजीकृत अभियोग का विवरण--

1. मु0अ0सं0 242/2024 धारा 411/414 भादवि थाना सेक्टर 24 नोएडा कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर

बरामदगी का विवरण--

1. 09 लैपटॉप

2. 11 मोबाइल

3.CRT/SWAT-2 व थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा एम0आई0पी0 बाइक धोखाधडी के प्रकरण में वांछित 25,000 रूपये का इनामी अभियुक्त गिरफ्तार।

कार्यवाही का विवरण-- दिनांक-02.06.2024 को CRT/SWAT-2 व थाना सेक्टर-58 पुलिस द्वारा एम0आई0पी0 बाईक धोखाधडी के प्रकरण में वांछित 25,000 रूपये का इनामी अभियुक्त सन्दीप कुमार यादव पुत्र मुंशीराम यादव को अलवर, राजस्थान से गिरफ्तार किया गया है।

अपराध का विवरण--
अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह किसी व्यक्ति द्वारा एक बाइक लगाने हेतु 62,100 जमा कराता तो उसे 10,100 प्रतिमाह मिलते तथा 5,000 रुपया कमीशन उसी वक्त मिलता और कम्पनी में काम करने के एवज में प्रतिमाह 10,000 मिलते। मैपल इनोवेटिव प्रमोटिव के नाम से यह कम्पनी बनाई गयी थी इसमें कई करोड़ रुपया इकट्ठा हुआ था इस कमीशन का पैसा आने के लिए मैने अपना एक खाता सेक्टर-51, नोएडा में खुलवाया था और मैने इस कम्पनी में करीब 01 वर्ष काम किया था इस दौरान मैने इस कम्पनी से करीब 11 लाख रुपये कमाये थे इसके बाद यह कम्पनी पैसा लेकर के भाग गयी तो मैं भी जान गया था कि यह कम्पनी फर्जी तरीके से लोगों के साथ धोखाधडी कर रही है क्योंकि मै भी बहुत बाइक के रुपये लगवा चुका था काफी लोगों के पैसे मेरे द्वारा लगवाये गये थे इसके बाद मैं भी नोएडा से भाग गया था।

अभियुक्त का विवरण--
सन्दीप कुमार यादव पुत्र मुंशीराम यादव निवासी ग्राम दरवारपुर, थाना मुण्डावर जिला अलवर राजस्थान वर्तमान पता नई अनाज मण्डी बायपास, दांतला रोडा थाना खेरथल, जिला खेरथल पूर्व जिला अलवर राजस्थान।

आपराधिक इतिहास का विवरण--
1. मु0अ0सं0-178/19, धारा 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना से0-58, नोएडा।
2. मु0अ0सं0-347/19, धारा 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना से0-58, नोएडा।
3. मु0अ0सं0-349/19, धारा 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना से0-58, नोएडा।
4. मु0अ0सं0-403/19, धारा 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना से0-58, नोएडा।
5. मु0अ0सं0-03/20 धारा 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना से0-58, नोएडा।
6. मु0अ0सं0-04/20 धारा 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना से0-58, नोएडा।
7. मु0अ0सं0-06/20 धारा 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना से0-58, नोएडा।
8. मु0अ0सं0-07/20 धारा 420, 467, 468, 120बी भादवि थाना से0-58, नोएडा।